324

न्यायालय मे श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0
रा0प्र0क्र0 / / निगरानी / अ–6 / 2012–2013

432

R - 1667 - III/13

श्रीमती आशा गुप्ता धर्मपत्नी नीलकंठ गुप्ता उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम पो0 चितरॉव थाना एवं तहसील जयसिंहनगर जिला–शहडोल म0प्र0 ....**निगरानीकर्ता / आवेदिका**

बनाम्

1.विजय कुमार पिता मदनलाल जयसवाल
2.विनोद कुमार पिता शंकरलाल जयसवाल
दोनो नि0ग्राम पो0 जयसिंहनगर वार्ड क0–12 थाना व तहसील जयसिंहनगर
जिला–शहडोल म0प्र0 ....**गैरनिगराकारगण / अनावेदकगण**

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 50
म0प्र0 भू रा0 सं0 1959
निगरानी निर्णय विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय शहडोल जिला शहडोल म0प्र0 के रा0प्र0क्र0 / 161 / निगरानी / अ–6 / 2011–2012 निर्णय दिनांक 31.01.2013 से व्यथित होकर

2/5/13

मान्यवर,

निगरानी पेश कर विनय है कि–

1. यह कि मामले का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि शंकरलाल एवं मदनलाल दोनो सगे भाई है, तथा ग्राम छतेरी जिला बनारस उ0प्र0 के मूल निवासी है। वर्ष 1960–61 मे दोनो भाई ग्राम जयसिंहनगर मे बहन फूलकुमारी के यहॉ रहकर सम्मिलित व्यापार करने लगे। मदनलाल मौजूद है। जिनका पुत्र गैरनिगराकार क0–1 विजय है। इसी तरह शंकरलाल की मृत्यु वर्ष 1984 मे हो चुकी है। गैरनिगराकार क0–2 विनोद शंकरलाल का पुत्र है। दोनो भाई शामिल–शरीक रहकर महुआ–डोरी का संयुक्त व्यापार करते थे। उक्त व्यवसाय मे प्राप्त आमदनी से ग्राम जयसिंहनगर प0ह0 जयसिंहनगर तहसील जयसिंहनगर जिला–शहडोल म0प्र0 स्थित भूमि नंबर 493 / 1 जिसका बटा नंबर बदलकर 493 / 3 रकबा 0.15 डिस0 यानी 0.061 हे0 भूमि अर्जित किये। गैरनिगराकार क0–1 का पिता मदनलाल पढा लिखा एवं काफी चतुर चालाक व्यक्ति होने से उक्त भूमि को अपने पुत्र गैरनिगराकार क0–1 मात्र का नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकित करवा लिया। शंकरलाल के मृत्यु के एक वर्ष पश्चात् ही वर्ष 1985 में गैरनिगराकार क0–1 व्दारा जिला न्यायाधीश शहडोल के न्याया0 मे स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा तथा अधिपत्य वापसी हेतु दीवानी बाद गैर निगराकार क0–2 के विरूद्ध दायर किया। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश वास्ते जिला न्यायाधीश शहडोल के व्यवहार बाद क0 / 11अ / 1985 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.1989 *पी–1* के चरण 23 मे विनिश्चित किया गया कि– ***"वादी की ओर से यह स्थापित नही किया गया है कि– बाद भूमि एवं उस पर बने हुये मकान संयुक्त परिवार की सम्पत्ति न होकर वादी की स्वअर्जित सम्पत्ति है। इसके विपरीत मदनलाल व***

01/05/2013
(डी.पी.तिवारी)
एडवोकेट

आशागुप्ता

(324)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R–1667-III/13 जिला–शहडोल

आशा गुप्ता/विजय कुमार

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला शहडोल के प्रकरण क्रमांक 161/निगरानी/अ6अ/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 31.01.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 17.07.19 को आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	